

प्रेषक,

गरिमा रौंकली,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
चम्पावत।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक ०१ मार्च, 2019

विषय: श्री बसन्त बल्लभ पुत्र श्री दुर्गादत्त, निवासी ग्राम बडोली, तहसील व जनपद चम्पावत को जनपद एवं तहसील चम्पावत, पट्टी क्षेत्र मनोली के ग्राम दुधौरी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 0.300 है० नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान हेतु पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance) प्राप्त होने के उपरान्त चुगान पट्टा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1719/VII-1/76-ख/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्री बसन्त बल्लभ पुत्र श्री दुर्गादत्त, निवासी ग्राम बडोली, तहसील व जनपद चम्पावत को जनपद एवं तहसील चम्पावत, पट्टी क्षेत्र मनोली के ग्राम दुधौरी के क्षेत्रान्तर्गत श्रेणी-1क खसरा सं० 3944, 3963 कुल रकवा 0.300 है० नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान हेतु चुगान पट्टा स्वीकृति हेतु ई०आई०ए० नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance) प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत किया गया था।

2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र संख्या-1440/खनन/भू०खनि०ई०/चम्पा०/2018-19, दिनांक 15 फरवरी, 2019 द्वारा श्री बसन्त बल्लभ पुत्र श्री दुर्गादत्त, निवासी ग्राम बडोली, तहसील व जनपद चम्पावत को उक्त आशय पत्र पर स्वीकृत क्षेत्र की जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, चम्पावत द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति पत्र संख्या-390/तीस-05 (2018-19)/खनन-DEIAA-2018-19, दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री बसन्त बल्लभ पुत्र श्री दुर्गादत्त, निवासी ग्राम बडोली, तहसील व जनपद चम्पावत को जनपद एवं तहसील चम्पावत, पट्टी क्षेत्र मनोली के ग्राम दुधौरी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 0.300 है० नाप भूमि में उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के प्रावधानानुसार 01 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज के चुगान हेतु चुगान पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री बसन्त बल्लभ पुत्र श्री दुर्गादत्त, निवासी ग्राम बडोली, तहसील व जनपद चम्पावत को जनपद एवं तहसील चम्पावत, ग्राम दुधौरी के क्षेत्रान्तर्गत श्रेणी-1क खसरा सं० 3944, 3963 कुल रकवा 0.300 है० नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी एवं बोल्डर के चुगान हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, चम्पावत द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति पत्र संख्या-390/तीस-05 (2018-19)/खनन-DEIAA-2018-19, दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 तथा उत्तराखण्ड उपखनिज



(बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के प्रावधानानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन 01 (एक) वर्ष की अवधि हेतु चुगान पट्टा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. पट्टाधारक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, चम्पावत द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति पत्र संख्या-390/तीस-05 (2018-19)/खनन-DEIAA-2018-19, दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से पर्यावरणीय अनुमति पत्र संख्या-390/तीस-05 (2018-19)/खनन-DEIAA-2018-19, दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
3. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई-रवन्ना प्रपत्र एम०एम०-11 पट्टाधारक को निर्गत किया जाय।
4. पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण से 10 किमी० की दूरी के भीतर आता है तो कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान (National Board of Wilf Life) से प्राप्त की जानी होगी।
5. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-14 के प्रावधानानुसार पट्टाधारक के द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात उक्त विलेख का पंजीकरण कराने के उपरान्त खनन क्षेत्र से उपखनिज का चुगान प्रारम्भ किया जायेगा।
6. पट्टाधारक के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं०-22(6) के अनुसार चुगान कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई में पंजीकरण कराया जाना होगा।
7. पट्टाधारक के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं०-22(3) के अनुसार चुगान पट्टा क्षेत्र के निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकांटा एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित किया जायेगा तथा रिकार्डिंग की सी०डी० प्रत्येक माह भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
8. पट्टाधारक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार स्वीकृत अवधि में आर०एल० 657.74 मी० से आर०एल० 660.81 मी० तक 8910.00 टन उपखनिज का चुगान किया जायेगा।
9. पट्टाधारक स्वीकृत क्षेत्र से उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर का चुगान सतह से 1.5 मी० की गहराई अथवा ग्राउन्डवाटर लेवल जो भी न्यून हो, तक चुगान किया जायेगा।
10. पट्टाधारक उपखनिज की निकासी का त्रैमासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र एम०एम०-12 में जिलाधिकारी कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत करेगा।
11. पट्टाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 तथा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. पट्टाधारक स्वीकृत खनन क्षेत्र से उपखनिज की निकासी/परिवहन निर्धारित ई-रवन्ना प्रपत्र एम०एम० 11 पर करेगा।
13. पट्टाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा जिससे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(गरिमा रौकली)  
संयुक्त सचिव

संख्या: 433 (1)/VII-1/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र दिनांक 15.2.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री बसन्त बल्लभ पुत्र श्री दुर्गादत्त, निवासी ग्राम बडोली, तहसील व जनपद चम्पावत।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

*(Handwritten Signature)*

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)

उप सचिव